भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न संख्या- 14

मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक)

आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों के लिए धनराशि

14. डा॰ के॰ वी॰ पी॰ रामचन्द्र रावः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए जारी की गई धनराशि वापस ले ली है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है तथा राज्य द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

डा॰ के॰ वी॰ पी॰ रामचन्द्र राव द्वारा "आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों के लिए धनराशि" के संबंध में 11 दिसम्बर, 2018 के लिए पूछे गए राज्य सभा मौखिक प्रश्न संख्या *14 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): जी, हां। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत पिछड़े जिलों के विकास के लिए जारी की गई धनराशि नीति आयोग की सिफारिशों और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर आधारित है। इस मामले में सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुए थे और 350 करोड़ रुपए की राशि असावधानीपूर्वक जारी की गई जिसे बाद में वापस लिया गया था। यह राशि अभी तक जारी नहीं की जा सकी है।

(ख): आंध्र प्रदेश के 7 पिछड़े जिलों के विकास के लिए वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में 1050 करोड़ रुपए की धनराशि 350 करोड़ रुपए (प्रति जिला प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपए) की तीन किस्तों में जारी की गई जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 946.47 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है।

*****